

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 692]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2020 — पौष 8, शक 1942

राजभवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-2/2014/रास/यू.-17. — अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम, 2014) की धारा 20 (3) में निहित प्रावधानानुसार डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नया रायपुर में निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम तीन व्यक्तियों का एक पेनल अनुशंसित करने हेतु माननीय कुलाधिपति द्वारा निम्नानुसार खोज समिति का गठन किया गया है :-

1.	प्रो. गौतम बरुआ, निदेशक, आईआईआईटी गुवाहाटी, बोंगोरा, गुवाहाटी.	-	कुलाधिपति द्वारा अनुशंसित	समिति अध्यक्ष
2.	प्रो. उदय बी देसाई, Founding Director, आईआईआईटी हैदराबाद, मेन रोड एनएच-65 के पास, कांडी संगारेड्डी, तेलंगाना	-	बोर्ड द्वारा अनुशंसित	समिति सदस्य
3.	श्री संजय मदान, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक, पश्चिम एनटीपीसी लिमिटेड, नवा रायपुर.	-	प्रायोजक द्वारा अनुशंसित	समिति सदस्य
2.	माननीय कुलाधिपति द्वारा प्रो. गौतम बरुआ उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.			
3.	उपर्युक्त समिति आईआईआईटी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम, 2014) की धारा 20(6) के प्रावधान अनुसार यह अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में माननीय कुलाधिपति को अपनी पेनल प्रस्तुत करेगी.			

हस्ता./-

(रोहितमा यादव)
राज्यपाल के उप-सचिव.